

एकल महिला-पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी मलिंगी चाइल्ड केयर लीव

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को उत्तराखंड के वित्त सचिव दलीप जावलकर ने प्रदेश के एकल महिला एवं पुरुष अभिभावक कर्मचारियों को बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) देने के प्रस्ताव के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- एकल पुरुष अभिभावक में वे सभी कर्मचारी आएंगे जो अववाहति या वधिर या तलाकशुदा हैं और जनिके एक बच्चे की जम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर है।
- जारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार की महिला कर्मचारी व महिला-पुरुष एकल कर्मचारी संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि के दौरान देखभाल के लिये संपूर्ण सेवाकाल में दो वर्ष यानी 730 दिनि का बाल्य देखभाल अवकाश ले सकेंगे।
- यह अवकाश 18 वर्ष की आयु तक केवल दो बड़े जीवति बच्चों के लिये मान्य होगा। 40 प्रतशित या उससे अधिक वकिलांग बच्चों के मामले में आयु सीमा का कोई प्रतबिंध नहीं होगा।
- यह अवकाश उपार्जति अवकाश की तरह स्वीकृत कयिा जाएगा और इसी की तर्ज पर इसका खाता रखा जाएगा। इस अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश बाल्य देखभाल अवकाश में शामिल माने जाएंगे।
- जनहति और प्रशासकीय कार्यों के लिये नयिकृत प्राधिकारी कसिी कर्मचारी को एक बार में पाँच दिनों से कम व 120 दिनों से अधिक अवधिका अवकाश मंजूर नहीं करेगा।
- एकल महिला सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम छह बार व अन्य पात्र महिला-पुरुष कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार अवकाश मलिंगा। 365 दिनि के अवकाश का उन्हें पूरा वेतन मलिंगा। अगले 365 दिनों में उन्हें मंजूर अवकाश का 80 प्रतशित ही वेतन दिया जाएगा।
- कई वभिगों के राजकीय व सहायता प्राप्त शकिषण, प्रावधिकि शकिषण संस्थाओं के पात्र महिला पुरुष सरकारी शकिषकों (यूजीसी, सीएसआईआर व आईसीएआर के पदों को छोड़कर) व सहायता प्राप्त शकिषण व प्रावधिकि शकिषण संस्थाओं को शकिषणेतर पात्र कर्मचारी को भी अवकाश मलिंगा।
- परवीकषाकाल (प्रोबेशन) में रहने के दौरान कर्मचारी बाल्य देखभाल अवकाश के हकदार नहीं होंगे, लेकिन जनि वभिगों की सेवा नयिमावली में प्रोबेशन पीरयिड के दौरान बाल्य देखभाल अवकाश की वयवस्था है, वहाँ यह तीन महीने से अधिक नहीं दिया जा सकेगा।
- वशिष परसिथतियों में नयिकृत प्राधिकारी गुण-दोष के आधार पर कम से कम अवधिका बाल्य देखभाल अवकाश मंजूर करने पर भी वचिार कर सकते हैं।